(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II, Dated 7th June, 2013 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II / Kibber Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)-29/99 dated 1.11.1999, to declare **Kibber as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 1400.00 sq. km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas Intention Notification under section 18(1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 was issued vide Notification No.FFE-B-F(6)-11/2005 dated 28th July 2010 to include an area of 867 sq. km to the existing 1400 sq. km area of Kibber Wildlife Sanctuary;

And whereas the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of the final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Kibber Wildlife Sanctuary, an additional area of 867 sq. km is included and 46.88 sq. km area is excluded alongwith village Kibbri from the existing area of 1400.00 sq. km of Kibber Wildlife Sanctuary. The total area of 2220.12 sq. km (1400.00 sq. km + 867 sq. km – 46.88 sq. km) shall now constitute the Kibber Wildlife Sanctuary after rationalization;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare the aforesaid area of 2220.12 sq. km as **'Kibber Wildlife Sanctuary'** with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment;

The limit of the Kibber Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No	Name of WL Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of the **Kibber Wildlife Sanctuary**
1.	**Kibber Wildlife Sanctuary**	i) Lahaul and Spiti ii). Spiti (WL) Division	**NORTH:** North Boundary of the sanctuary starts from a point on Lungher nalla follows downstream upto its confluence with Malung nalla then a crossing Malung nalla boundary meets interstate boundary of Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir State where it forms V shape and then moves around the same interstate boundary of Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir upto turning point near Nurbula.

			EAST: From turning point of inter state then again moves along the inter state boundary of Himachal and Jammu and Kashmir upto the point where interstate boundary ends and meet with international boundary i.e. Gya Peak which is highest peak height 22290 feets then moves along international boundary of India and Tibet up to top of Lingti River then again moves along international boundary upto the point where it forms again V Shape. **SOUTH:** South boundary start from V shape on the international boundary and moves along a Ridge entering into Spiti Wildlife Division separating the water shed of Lingti River in the north and watershed of Spiti river in the south up to the top of Kibbri nalla. **WEST:** West boundary starts from top of Kibbri nalla and then follows a ridge between Kibbri nalla and Shiji Bhang nalla upto its confluence with Lingti River then follows Lingti rivers down stream upto near village Sanglung and then across Lingti river boundary goes to Khukhe nalla leaving aside Sanglung village and then follows Khukhe nalla upto its top and then follows a small ridge upto the top of the nalla near Langza village in the opposite side then follows the same nalla down stream upto its confluence with Shila nalla and then acrossing Shila nalla boundary follows a small nalla in opposite to side upto its top height Dhunbhachen 16900 feet and then

			follows a small nalla in the opposite side and moves along the same nalla down stream upto its confluence with Puri Lungbhi and then follows Puri Lungbhi up stream upto its top Prangla height 18300 feet then boundary moves along a ridge separating the water shed of Takling river in the West and Taklingla nalla in the East upto a point where it turns to the West and moves along the same ridge separating the watershed of Takling river, Tanmu river and Kibji river in the South and Lungher river and Malung river in the North and meet in Lungher nalla at starting point of Northern boundary..

This area is situated within the Geo-coordinates. **North** latitude 32^0 45' 42" N and longitude 78^0 22' 16" E, **East** latitude 32^0 25' 00" N and longitude 78^0 32' 33" E, **South** latitude 32^0 08' 27"N and longitude 78^0 20' 35"E, **West** latitude 32^0 35' 38" N and longitude 78^0 47' 37"E. This area falls on Survey of India topo sheet No. 52L & 52H of scale 1" = 4 miles.

Area of Kibber Wildlife Sanctuary= 2220.12 sq. km.

By Order

Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above Dated Shimla-2 the 7^{th} June, 2013
Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.

7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the RajPatra be sent to this Department.
12. Guard File.

Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–एफ.(6)–11/2005–II किब्बर तारीख शिमला–2, 7 जून, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–एफ.(6)–29/99 तारीख 1–11–1999 द्वारा 1400.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र **किब्बर** को वन्य जीव अभ्यारण्य के रुप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए सं0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल सं0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमैंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ–I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई–बी–एफ.(6)11/2005 तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य के विद्यमान 1400 वर्ग किलामीटर क्षेत्र में 867 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18(1) के अधीन इस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय कें आदेश तारीख 5–8–2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अंतिम अधिसूचनाओं को जारी करने से पूर्व, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रकिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रकिया का सम्यक् रुप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1–2–2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरुप किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य के विद्यमान 1400.00 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है तथा किब्बरी गांव सहित 46.88 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को निकाल दिया गया है । युक्तिकरण के पश्चात् अब किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य कुल 2220.12 वर्ग किलोमीटर (1400.00 वर्ग किलोमीटर + 867.00 वर्ग किलोमीटर –46.88 वर्ग किलोमीटर) से गठित होगा ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 2220.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से **किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य** घोषित करती हैं ।

किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगीः–

क्रम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र की सीमाएं
1	किब्बर	i) लहौल एवं स्पिति ii) स्पिति (वन्य जीव) मण्डल	**उत्तरः** अभ्यारण्य की उत्तरी सीमा लंगेहर नाला से आरम्भ होती है और नाले के साथ साथ नीचे की और मलंग नाला के मिलान बिन्दु को पार कर हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्य की संयुक्त सीमा पर V आकार पर मिलती हुई हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्य की संयुक्त सीमा के साथ साथ नूरबुला के नजदीक घुमाव बिन्दु तक । **पूर्वः** घुमाव बिन्दु से हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्य की संयुक्त सीमा के साथ साथ और भारत व तिब्बत की अर्न्तराष्ट्रीय सीमा के

			गया चोटी की ऊंचाई 22290 फुट के मिलान बिन्दु पर मिलती हुई तथा अर्न्तराष्ट्रीय भारत तिब्बत सीमा के साथ साथ लिंगटी नदी के ऊपर से होती हुई अर्न्तराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ सीमा पर V आकार बिन्दु तक । **दक्षिण :** अभ्यारण्य की दक्षिण सीमा भारत व तिब्बत की अर्न्तराष्ट्रीय सीमा पर V आकार बिन्दु से आरम्भ होती हुई धार (रिज) के साथ साथ बढ़ती हुई स्पिति वन्य प्राणी मण्डल में प्रवेश कर के उत्तर में लिंगटी नदी व दक्षिण में स्पिति नदी के जल संग्रहण को अलग करते हुए किब्बरी नाले के ऊपर चोटी तक । **पश्चिमः** पश्चिमी सीमा किब्बरी नाला के ऊपर चोटी से आरम्भ होती है और किब्बरी नाला और शिजी भांग के बीच एक धार (रिज) से लिंगटी नदी के मिलान बिन्दू से नदी के साथ नीचे की ओर चलती हुई सांगलूंग गांव के नजदीक तक जाती है और तदोपरान्त लिंगटी नदी को पार करके सांगलंग गांव को एक तरफ छोड़ खुखे नाला तक जाती है उसके उपरान्त फिर नाले के साथ साथ धार पर से चोटी तक लांजर गांव के नजदीक से दूसरी ओर जाकर उसी नाले के साथ–साथ नीचे की ओर शिल्ला नाला तक जाकर, शिल्ला नाला को पार कर पिछली ओर छोटा नाला से होती हुई दुनवाचेन की सबसे ऊंची चोटी 16900 फुट तक जाएगी फिर छोटे नाले में नाचे होती हुई जोकि पिछली तरफ है फिर उसी नाले के साथ नीचे की ओर पूरी लुंगबी के मिलान बिन्दु तक, फिर पूरी लुंगबी नाले के साथ साथ ऊपर की ओर पारंगला चोटी 18300 फुट फिर सीमा आगे बढ़ते हुए धार पर से पश्चिम में टाकलिंग नदी व पूर्व में टाकलिंग नाला पर एक जगह जहां से पश्चिम को मुड़ कर उसी धार के साथ–साथ दक्षिण में टाकलिंग, तानमू व किबजी नदी के जल

			संग्रहण और उत्तर में लंगेहर नदी व मलंग नदी को अलग करती हुई लंगेहर नाले में उत्तरी सीमा के आरम्भ बिन्दू पर मिलती है ।

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितिः **उत्तर** अक्षांश 32^0 45′ 42″ उत्तर और देशान्तर 78^0 22′ 16″ पूर्व । **पूर्व** अक्षांश 32^0 25′ 00″ उत्तर और देशान्तर 78^0 32′ 33″ पूर्व । **दक्षिण** अक्षांश 32^0 08′ 27″ उत्तर और देशान्तर 78^0 20′ 35″ पूर्व और **पश्चिम** अक्षांश 32^0 35′ 38″ उत्तर और देशान्तर 78^0 47′ 37″ पूर्व यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 52एल और 52एच, (पैमाना 1″ =4 मील) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफलः 2220.12 वर्ग कि0मी0

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। दिनांक शिमला–2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश–शिमला–2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला–1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश–शिमला–1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/ वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार